संक्षिप्त

मोदी परिवार के भामाशाहों का सम्मान

पावटा, (निसं)। जयपुर के भामाशाह मूल निवासी पावटा ने अपने हिस्से की बेशकीमती जमीन को समाज को दान कर मिसाल पेश की हैं। इस भूमि पर अब सभी के सहयोग से पावटा अग्रवाल महासभा द्वारा अग्रसेन महाराज के मंदिर का निर्माण करवाया जायेगा। सांवर मल मोदी व रामोतार अग्रवाल मोदी सहित समस्त मोदी परिवार समाज सेवा को समर्पित हैं। वे शिक्षा और समाज के उत्थान के लिए सहयोग करते रहते हैं। उन्होंने जमीन देने का फैसला हाल ही में पावटा अग्रवाल महासभा द्वारा मनाई जाने वाली अग्रसेन जयन्ती में घोषणा कर किया। इस नेककार्य के लिए पावटा अग्रवाल महासभा पदाधिकारी संस्थापक व्यापार मंडल किशनलाल गोयल, संरक्षक सीताराम कारौली वाले, दौलतराम ठीकरिया वाले, घनश्याम गोयल भोनावास वाले, कैलाश गर्ग छितौली, महामंत्री नवीन गर्ग, पावटा अग्रवाल महासभा पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश बंसल, एडवोकेट दीपक गोयल, सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल पंसारी, वस्त्र व्यापार मंडल प्रवक्ता संतोष गुप्ता, वार्ड पार्षद विजय गुप्ता, अशोक मंगल, एम एम ग्रुप निदेशक मनोज मित्तल, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि गोपाल अग्रवाल, सुशील चौधरी, पंकज जिंदल, सुरेश गुप्ता, नितेश गुप्ता, धर्मेंद्र गोयल सहित बडी संख्या में अग्र बंधुओं ने मोदी परिवार का आभार व्यक्त किया व स्वागत करते हुए समानित किया।

सड़कों का शिलान्यास आज

मंडावरी, (निसं)। नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में शनिवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा करीब साढे चार करोड लागत से बनने वाली 8 किलोमीटर लंबी सडक का विधिवत शिलान्यास कर निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। अधिशासी अधिकारी नमन शर्मा ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र मंडावरी के विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री बजट घोषणा की मुख्य सडक मेजर रिपेयर कार्य के तहत बनने वाली इंटरलॉकिंग सीसी आदि सडकों का शिलान्यास नगरपालिका कार्यालय में समारोह पूर्वक शिलान्यास करेंगे।

शोक सन्देश

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि

श्रीमती सरिता देवी

पत्नी महेंद्र तिवाडी का स्वर्गवास 28.9.22 को हो गया है।

शोकाकुलः रामस्वरूप, कैलाश, लालचंद, रामअवतार चंद्रप्रकाश, कमल किशोर, (ससुर), श्यामसुंदर, जितेंद्र (जेठ), मनीष, अनिल, निखिल (देवर) आरव (पुत्र) एवं समस्त तिवाडी परिवार कालवाड वाले।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम Vijay Kumar Lalwani से बदलकर Vijy Lalvani पुत्र भगवान दास रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी-114/370, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

मैंने अपना नाम मोहम्मद फरीद से बदलकर फरीद खान रख लिया है भविष्य में मुझे फरीद खान पुत्र अब्दुल गनी निवासी 3042 डूमो का कुआं रेगरों की कोठी, घाटगेट, जयपुर के नाम से जाना जावें।

I Harman Ram Saran S/o Bhanwar Lal R/o Ward No-05, Gav-Udasar, Bikaner, Rajasthan-334804, have changed my name to Hanuman Saran

खोया पाया

ID Card of ICICI Bank Ajay Choudhary Card No. 270854 has been lost if any one found please inform us on Mo. No.-9057224635

मेरे प्लाट नम्बर एस-66, स्पेशल इकोनामीक जोन, (SEZ) खटवाडा के मूल दस्तावेज जिनमें पट्टा, साइट प्लान, रसीद है, खो गये हैं। मिलने पर सूचित करें- विशाल कायत पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद कायत, निवासी- पी-20, अम्बेडकर कॉलोनी, अशोकपुरा, सोडाला, जयपुर।

मेरे प्लॉट 361-ए, प्रताप नगर विस्तार, मुरलीपुरा का जेडीए पट्टा, साइट प्लान रसीदे एवं अन्य जरूरी कागजात खो गये है मिलने पर सूचित करें- दिनेश कुमार अग्रवाल-9414788224

ई-रिक्शा चोर और खरीददार गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। शास्त्री नगर पुलिस ने ई-रिक्शा चुराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए शातिर बदमाशों सहित चोरी का ई रिक्शा खरीदने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया हैं।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि बदमाशों के निशाने पर ई-रिक्शा रहता था और वह ई-रिक्शा चुराने के साथ साथ ई रिक्शा से बैटरी और उनके पार्टस भी चुराने का भी काम करते थे। पुलिस

- **शास्त्री नगर, सदर, विद्याधर नगर, करधनी, हरमाड़ा और झोटवाड़ा क्षेत्र में सक्रिय है गैंग**

ने उनके कब्जे से चुराए हुए ई-रिक्शा बरामद कर लिए हैं। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि उन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया हैं।

थानाप्रभारी दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी अमित कुमार उर्फ मोनू (22) निवासी लोसल जिला दौसा हाल बैनाड़ रोड करधनी, किशन भार्गव उर्फ भूरिया(23) निवासी नाहरी का नाका शास्त्री नगर, शकील खान(50) निवसी हिण्डौन जिला करौली हाल मोहल्ला डाकोतान बास बदनपुरा गलता गेट और श्याम स्वामी (40) निवासी स्वामी बस्ती संजय सर्किल को गिरफ्तार किया गया हैं। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में परिवादी बजरंग नगर कच्ची बस्ती निवासी शफीक ने थाने में मामला दर्ज करवाया था कि वह अपने ई रिक्शा को कांवटिया अस्पताल के सामने खड़ा कर रिश्तेदारों को अस्पताल में खाना देने के लिए गया था। 15 मिनट बाद वापस आया तो ई-रिक्शा गायब था। इसी तरह नाहरी का नाका शास्त्री नगर निवासी अब्दुल रशीद ने थाने में मामला दर्ज करवाया था कि वह अपनी बीमार मां का खाना देने कांवटिया अस्पताल के सामने ई रिक्शा खड़ा करके अंदर चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो ई रिक्शा गायब था।

पुलिस ने मामला दर्ज आरोपियों अमित, किशन, शकील और श्याम स्वामी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित अमित और किशन ई-रिक्शा ,बैट्री और अन्य सामान मिलकर चोरी करते है और टेम्पो में रखकर कबाडियों को सस्ते दामों में बेच कर खुर्द-बुर्द कर देते है। ई-रिक्शा चुराने वाला गिरोह शास्त्री नगर, सदर, विद्याधर नगर, करधनी, हरमाड़ा और झोटवाड़ा आदि जगह में सक्रिय हैं।

शास्त्री नगर पुलिस ने ई-रिक्शा चुराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए शातिर बदमाशों सहित चोरी का ई रिक्शा खरीदने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया।

''स्मृतियों में अशोक काम्बोज'' पुस्तक का विमोचन आज

जयपुर। युवा साथी संगठन की ओर से शनिवार को ''स्मृतियों में अशोक काम्बोज'' पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इन्द्रेश कुमार और संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख स्वांत रंजन होंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गजेन्द्रसिंह रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. महेश चंद्र शर्मा (अध्यक्ष,एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एंव विकास प्रतिष्ठान, नई दिल्ली) करेंगे।

अनिल चौहान को सीडीएस बनाने पर आभार जताया

जयपुर। राजपूत सभा भवन जयपुर के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफरेंस नियुक्त करने पर धन्यवाद किया। बालाकोट स्ट्राइक के हीरो अनिल चौहान को नया सीडीएस बनाकर राजपूत समाज की वीर परंपरा को सम्मानित किया।

सीवर सेक्शन मशीन मिलने से आमजन को मिलेगा लाभ

खाटूश्यामजी, (निसं)। स्वायत शासन विभाग द्वारा खाटूश्यामजी नगरपालिका को करीब बीस लाख रुपए लागत की सीवर सेक्शन मशीन उपलब्ध करवाई है।

नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी विशाल यादव ने बताया कि खाटूश्यामजी क्षेत्र में बरसात के दिनों में जगह-जगह भरने वाले पानी,कीचड सहित गंदे पानी के नालों में होने वाली रूकावट के चलते परेशानी का सामना करना पडता था। अब खाटूश्यामजी नगरपालिका को करीब बीस लाख रुपए की लागत से डीएलबी ने यह मशीन उपलब्ध करा दी है।

इससे अब खाटूश्यामजी क्षेत्र में गंदा पानी निकालने को लेकर परेशानी नहीं उठानी पडेगी और त्वरित कार्रवाई के साथ समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही इस मशीन से आमजन के घरों का सीवरेज के लिए भी शुल्क लगाकर खाली कराने की व्यवस्था भी जल्दी की जाएगी।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री शिव दत्त शर्मा पुत्र श्री चन्द्र दत्त शर्मा व उर्मिला शर्मा पत्नी श्री शिव दत्त शर्मा निवासी- 5-स 19, मेडिकल कॉलोज के पास, डूपलेक्स कॉलोनी, बीकानेर (राज.) का है का पुत्र विनायक दत्त शर्मा व उसकी पत्नी निवेदिता शर्मा मेरे अभिभाष्यगण के कहने व सुनने में नही है। उसके द्वारा अनावश्यक रूप से मेरे अभिभाष्यगण को परेशान किया जाता है एवं उससे लडाई झगडा किया जाता है इसलिये मेरे अभिभाष्यगण ने अपने पुत्र विनायक दत्त शर्मा व उसकी पत्नी निवेदिता शर्मा को अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है एवं उससे समस्त रिश्ता तोड लिया है। उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति, संस्था, सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्था से किसी भी प्रकार का लेनदेन, ऋण या आपराधिक संव्यवहार किया जाता है तो उसकी स्वंय की जिम्मेदारी होगी। मेरे अभिभाष्य का उस कार्यवाही से कोई लेना देना नही होगा। सूचित रहें। भवदीय (श्रीराम शर्मा) एडवोकेट, मो. 9314454282

प्रेस-विज्ञप्ति मेरे अभिभाष्य महेन्द्र कुमार सबल पुत्र स्वर्गीय गणेश राम जाति रैगर, निवासी-ग्राम सामोद तहसील चौमू, जयपुर के निवासी हैं। जो कि एक निर्माणशुदा मकान संख्या पुराना 136, नया 142, सीतारामपुरी, माचडा, सीकर रोड, जयपुर को शंकर भवन गृ.नि.स.स. जयपुर द्वारा आवंटन किया गया था जो कुल 200 वर्गगज का श्रीमती पूजा सेठी पत्नी श्री जितेश खण्डेलवाल से खरीद किया है जिस संबंध में किसी को आपत्ति हो तो 7 दिवस में संपर्क करे। (महेन्द्र कुमार कमल) एडवोकेट, मो. नं. 9982313201

आम सूचना यह है कि मेरा अभिभाष्य फसीहउद्दीन के द्वारा क्रयशुदा प्लाट नं. 153, संजय नगर सी झोटवाडा जयपुर ''पूर्वी भाग'' का रजिस्टर्ड मूल विक्रय पत्र दिनांक 09/04/2012 क्रयशुदा एवम् ''पश्चिमी भाग'' रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09/01/2012 का दस्तावेजात् मेरे अभिभाष्य से कही गुम हो गये है। काफी तलाश करने पर भी प्राप्त नही हुए है किसी को भी मिले मुझे सूचित करे। MOHAMMAD SALIM, ADVOCATE Mob.-9414248870

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री नवल किशोर जी गोयल पुत्र श्री मोहन दास जी गोयल निवासी प्लाट नम्बर 9, संग्राम कॉलोनी, सी- स्कीम, जयपुर के द्वारा अपने पुत्र सौरभ गोयल एवं पुत्रवधु जो कि मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है, को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति, हक अधिकारों से बेदखल कर रखा है। इस कारण आज से पूर्व तथा भविष्य में मेरे अभिभाष्य के पुत्र के द्वारा किये गये किसी भी प्रकार के कार्य इत्यादि के लिए वह व्यक्तिश रूप से जिम्मेदार होगा और यदि कोई व्यक्ति मेरे अभिभाष्य के पुत्र से किसी भी प्रकार का लेन-देन, संव्यवहार करता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। जयपुर (अजीत कुमार शर्मा) एडवोकेट दिनांक-30.9.2022 मो.नं.9414075285

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय ने टी.आई. नम्बर 901/2022 उनवानी मोहम्मद अकील बनाम कुमारी देवी मेनन में दिनांक 28.09.2022 को प्लाट नम्बर 16, जयसिंह नगर दिल्ली बाईपास जयपुर को विक्रय एवं अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण पर पाबन्दी लगा दी है। कोई भी नहीं खरीदे, ना ही इकरार करें। अन्यथा स्वयम् जिम्मेदार होगा। जयपुर दिनांक (अब्दुल हारून कुरैशी) एडवोकेट मो.-9950116133

सार्वजनिक सूचना सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अजीमुद्दीन प्रो. नईम बुक डिपो, रामगंज, जयपुर के नाम राजस्थान कोटा कलेण्डर पंजीकृत है। इसकी नकल करने वाले पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। सूचित रहे। आबिद रहमानी एडवोकेट, 4302, घोड़ा निकास रोड, जयपुर मो.-9351619665

Press Note

पंजाब नेशनल बैंक शाखा मानसरोवर द्वारा मिस्टर सूरज मल असवाल को स्वीकृत ऋण के एवज में प्रोपटी प्लॉट संख्या सी-1 -17, प्रेम विला स्कीम, पत्रकार कॉलोनी, ग्राम रामसिंघपुरा उर्फ धोलाई तहसील सांगानेर जयपुर के दस्तावेज (Certified कॉपी) बंधक रखे जाने हैं यदि किसी भी आमजन को इस पर कोई आपत्ति है तो निम्नलिखित पते व मोबाइल पर सूचित करें शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक 3/3 एसएफएस मानसरोवर जयपुर 8003693634 वरिष्ठ प्रबन्धक/Senior Manager मानसरोवर, जयपुर/Mansarovar, Jaipur

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांकः- DHC-II/1793 जाहिर आम सूचना दिनांकः 30/09/22

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 112/312, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 52.52 वर्ग मीटर / वर्ग गज का आवंटन सुशीला शर्मा पुत्री श्री सांवर मल शर्मा को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1882 दिनांक 27.01.1988 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 01.03.1988 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 7138 दिनांक 08.11.2006 के द्वारा श्रीमती कृष्णा भाटिया पत्नी श्री चन्द्रभान भाटिया के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 2947 दिनांक 05.03.2013 के द्वारा श्री दिवाकर भाटिया पुत्र श्री चन्द्रभान भाटिया के नाम मृत्यु पश्चात हस्तान्तरण कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 20.03.2013 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री दिवाकर भाटिया की मृत्यु दिनांक 14.05.2021 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती कविता भाटिया पत्नी स्व. श्री दिवाकर भाटिया ने मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं उत्तराधिकारियों का हकत्याग प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती कविता भाटिया पत्नी स्व. श्री दिवाकर भाटिया के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती कविता भाटिया पत्नी स्व. श्री दिवाकर भाटिया के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

हिंदी का महत्व श्रोताओं को बताया

जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान , मानद् विश्वविद्यालय के संस्थान सभागार में हिन्दी पखवाड़ा के समापन समारोह का आयोजन कुलपति प्रो. संजीव शर्मा के निर्देशन में किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ उपकुलपति प्रो. मीता कोटेचा, प्रो. सुरेन्द्र शर्मा (विभागाध्यक्ष रोगनिदान) एवं प्रो. राममूर्ति द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद भारद्वाज (वरिष्ठ लेखक, पत्रकार एवं संपादक), डॉ. यशवंत व्यास (वरिष्ठ लेखक, पत्रकार एवं संपादक) को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। विनोद भारद्वाज ने ''आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हिंदी की आवश्यकता'' और डॉ. यशवंत व्यास ने जनसामान्य की भाषा हिंदी- क्या छूटा क्या जोडा पर प्रकाश डाला। दोनों वक्ताओं ने अपने-अपने विषय उद्बोधन से हिंदी के महत्व को श्रोताओं को बताया। साथ ही आयुर्वेद को हिंदी भाषा के साथ जोड़कर हर-जन, हर- घर तक कैसे पहुंचाया जाये इस पर भी अपने विचार व्यक्त किये। इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र उपकुलपति प्रो. मीता कोटेचा, प्रो. राममूर्ति एवं प्रो. सुरेन्द्र शर्मा द्वारा वितरित किये गये।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. राकेश नागर (प्रवक्ता राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान) ने किया। इन्होंने बताया कि हिन्दी का एक वर्ण भी अपने आप में पूर्ण वाक्य हो सकता है। हम हिन्दी में जितना स्वयं को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, उतना किसी और भाषा जो हमारी मातृ भाषा नहीं है, उसमें नही।

संस्थान के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने हिन्दी में बिंदी की शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला, हिन्दी में कोई भी वर्ण साइलेंट नहीं होता, यह भी बताया। कुलपति ने बताया कि संस्थान का अधिकांश कार्य हिन्दी भाषा में किया जाता है। अंग्रेजी का प्रयोग शिक्षण एवं अनुसंधान में आवश्यकता अनुसार किया जाता है। मरीज़ो की चिकित्सा एवं परामर्श में भी हिन्दी का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है।

विशेष म्यूजिक कॉन्सर्ट आज

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर विरासत फाउंडेशन (जेवीएफ) द्वारा शनिवार, 1 अक्टूबर को जेवीएफ परिसर में शाम 6.30 बजे से विशेष म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया जाएगा। कॉन्सर्ट में 9 सदस्यीय ग्रुप तू भी कबीरा द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। लोक संगीत भारतीय संगीत का मूल है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोक और रॉक संगीत के भारतीय इतिहास से प्रेरणा लेते हुए संत कबीर दास की कविताओं और भजनों को संगीत की विभिन्न शैलियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। कॉन्सर्ट के दौरान कबीर की मूल रचनाओं के साथ-साथ कुछ बहुत पसंद किए जाने वाले कबीर भजन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। तू भी कबीरा का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करना और स्थानीय लोक कलाकारों को आय और पहचान दिलाने के लिए रोड मैप तैयार करना है। जिन्हें हमारे जीवन को आधुनिक बनाने के प्रयास में भुला दिया गया है। तू भी कबीरा अपने आप में एक विजन है, जो संगीत और मनोरंजन उद्योग में संगीत, रचनात्मकता और परंपरा के मिश्रण के रूप में और अधिक रंग जोड़ेगा।

'राज्य सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध'

अलवर, (निसं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार बजट घोषणा के तहत प्रदेश में अपराधों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य पुलिस चौकियों को थाने में क्रमोन्नत तथा पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोल रही है।

मंत्री जूली ने शुक्रवार को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर पुलिस चौकी को अकबरपुर थाने में क्रमोन्नत होने पर विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अलवर जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार यह जिला राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में शामिल है। उन्होने कहा कि अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु राज्य सरकार चौकियों को निरन्तर क्रमोन्नत कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि अकबरपुर को थाने में क्रमोन्नत होने के बाद यहां अपराधों पर अंकुश लगेगा साथ ही क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था माकूल बनाए रखने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन आकांक्षाओं को बजट की घोषणा के अनुसार निरंतर विकास कार्यों एवं घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने में कार्य कर रहे है।

उन्होंने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रा सहित भर्तृहरि एवं सिलीसेढ में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रा के अकबरपुर, गोपालपुरा, कालीखोल, बेरा, धर्मपुरा, खेडका, रिसाला, अहमदपुर, परसा का बास, कुशलपुरा, सारंगपुरा, मानपुरा, चांद पहाडी, निर्भयपुरा, नटनी का बारां, लालपुरा, डाबली, सिया का बास, नावली, अलापुर, माचडी, नांगल रटावत, सावडी, सावडी का बास, सूकल, कटारा, धवाला, घाटी तला, बलदेवपुरा, कालाछारा, कुशालगढ, बावडी, माधोगढ, इन्दोक, रईका सूकेला, लीलूण्डा, इम्टीपुरा, किशनपुर, परतापुर, सिलीसेढ, पीपलगढ, श्योदानपुरा, रिंगसपुरी, ढहलावास, रोगडा, बख्तपुरा, ढोबा, सीरावास, सुन्दरवास, उमरैण, पलखडी, बल्लाना को अकबरपुर थाने में सम्मिलित किया गया है।

कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)

(राजस्व-द्वितीय प्रकोष्ठ)

क्रमांक : एफ-6() उप.राज.-द्वितीय(सा.प्र.)/ननिज./2022/1343

सार्वजनिक सूचना दि. 22.09.2022

मूल भूखण्ड संख्या ए-10, मोती डूंगरी योजना, जयपुर का अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, जयपुर द्वारा श्री शमशेर सिंह के नाम से क्षेत्रफल 1588.8 वर्गगज भूमि का आवंटन एवं पट्टा जारी किया गया था। श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह द्वारा भूखण्ड संख्या ए-10, मोती डूंगरी योजना, जयपुर क्षेत्रफल 1588.8 वर्गगज श्री रविन्द्रनाथ मुखर्जी को बेचान किया गया। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या ए-10, मोती डूंगरी योजना, जयपुर श्री आर. मुखर्जी के नाम से नाम हस्तान्तरण जारी किया गया। श्री आर. मुखर्जी की मृत्यु उपरान्त नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा उक्त भूखण्ड श्रीमती सुजाता मुखर्जी पत्नी स्व. श्री आर. मुखर्जी एवं श्री अनुराधा मुखर्जी पुत्र स्व. श्री आर. मुखर्जी के नाम से संयुक्त नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया। श्री अनुराधा मुखर्जी पुत्र स्व. श्री आर. मुखर्जी एवं श्रीमती सुजाता मुखर्जी पत्नी स्व. श्री आर. मुखर्जी द्वारा उक्त भूखण्ड को 1. श्री डी.पी. गुप्ता 2. श्रीमती सरोज गुप्ता 3. श्री प्रदिप गुप्ता को बेचान किया गया। नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या ए-10, मोती डूंगरी योजना, जयपुर 1. श्री डी.पी. गुप्ता 2. श्रीमती सरोज गुप्ता 3. श्री प्रदिप गुप्ता (कर्ता हिन्दु संयुक्त परिवार श्री डी.पी. गुप्ता) के नाम से संयुक्त नाम हस्तान्तरण जारी किया गया। श्री डी.पी. गुप्ता पुत्र स्व. श्री गणेशी लाल द्वारा भूखण्ड संख्या ए-10, विजय पथ, तिलक नगर, जयपुर क्षेत्रफल 1588.8 वर्गगज श्री रश्मिकान्त दुर्लभजी, श्रीमती सुभेखा दुर्लभजी, श्री मेहुल दुर्लभजी एवं कुमारी मोनिशा को बेचान किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या ए-10, योजना तिलक नगर, जयपुर क्षेत्रफल 1588.8 वर्गगज श्री रश्मिकान्त दुर्लभजी के नाम से नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या ए-10, योजना तिलक नगर, जयपुर क्षेत्रफल 1588.8 वर्गगज श्री रश्मिकान्त दुर्लभजी के साथ-साथ श्रीमती सुभेखा दुर्लभजी, श्री मेहुल दुर्लभजी, कुमारी मोनिशा के नाम संशोधित नाम हस्तान्तरण जारी किया गया। श्रीमती सुभेखा दुर्लभजी पत्नी स्व. श्री रश्मिकान्त दुर्लभजी द्वारा उक्त भूखण्ड में से अपना 1/4 अविभाजित हिस्सा अपनी पुत्री मोनिशा बापना के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित की गई। श्रीमती सुभेखा दुर्लभजी की मृत्यु उपरान्त आवेदिका द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, नाम हस्तान्तरण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड वसीयतनामा, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा मोनिशा प्रशांत बाफना पुत्री स्व. श्री रश्मिकान्त खेलशंकर दुर्लभजी के पक्ष में क्षेत्रफल 397.22 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व-द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी। (सोहन राम चौधरी) उपायुक्त(राजस्व-द्वितीय) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

न्यायालय उपतहसीलदार रामपुराडाबड़ी जिला-जयपुर

क्रमांक -भू.अ.-2022- 2425 **सार्वजनिक सूचना** दि. 30.09.2022

सर्वसाधारण आम या खास को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के विचाराधीन प्र.स. 35/2022 में प्रार्थी श्री वासुदेवसिंह, सहदेवसिंह वगै. जाति-चारण नि. ग्राम हरमाडा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर ग्राम-हरमाडा के ख.न. 250, 251, 252 कुल किता 03 रकबा 0.24 हेक्टे. के मृतक खातेदार रघुवीरसिंह पुत्र शिवदयालसिंह हि.1/5 के स्थान पर प्रस्तुत दस्तावेज समझौता-पत्र में मृतक रघुवीरसिंह द्वारा व्यक्त की गई अंतिम इच्छा अनुसार प्रार्थीगणों ने स्वयं के नाम नामान्तरण खुलवाना चाहा है। अतः प्रकरणागत आराजी के संबंध में मृतक रघुवीरसिंह के वारिसान या किसी अन्य आम/खास को आपत्ति/ एतराज हो या अन्य कोई दस्तावेज हो तो मय साक्ष्य सबूतों के सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से अन्दर 10 दिवस में किसी भी कार्यदिवस को हस्तगत न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। बाद मियाद कोई उज/ एतराज नही सुना जाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा। सूचित रहे। **उपतहसीलदार रामपुराडाबडी जिला- जयपुर**

आजादी के 75 वर्ष बाद भी दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं : डॉ.रमेश बैरवा

जयपुर, (निसं)। दलित शोषण मुक्ति मंच (डीएसएमएम) सीकर का जिला कन्वेंशन कल्याण सर्किल स्थित गोपाल भवन में आयोजित हुआ। इसमें 21सदस्यीय संयोजक मंडल का गठन हुआ। संयोजक मंडल में सुरेंद्र फुलवारिया जिला संयोजक, ओमप्रकाश, भंवर लाल पंवार, हेमाराम,रतन लाल सिंघल, महेश पालीवाल, ज्योति पंवार सह संयोजक तथा शुभकरण, कुलदीप, किशनलाल महरिया, श्रीकांत महरिया, बंशीधर तिरदिया, अनिल वर्मा, गोपाल पंवार, अशोक वर्मा, बाबू लाल वर्मा, चेताराम संयोजक मंडल के सदस्य चुने गए। सम्मेलन में विभिन्न तहसीलों से बडी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए।

मुख्य अतिथि डीएसएमएम प्रदेश सहसंयोजक एवं बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉ.रमेश बैरवा ने उद्घाटन भाषण देते हुए आक्रोश प्रकट किया कि देश आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। संविधान लागू हुए 72 साल हो चुके हैं। अमृतकाल का आगाज किया जा चुका है लेकिन हम शहीदों और बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के सपनों का समतामूलक भारत नहीं बना पाए। बडी शर्मिंदगी होती है यह जानकर कि देश में दलितों पर जुल्म और ज्यादती तेजी से बढ रहे हैं,जोकि लोकतंत्र एवं देश की एकता के लिए शुभकर नहीं है। प्रतिदिन 140 दलित उत्पीडन के

डीएसएमएम का जिला सम्मेलन में 21 सदस्यीय संयोजक मंडल चुना गया।

- **बढ़ते दलित उत्पीड़न के खिलाफ साझा संघर्ष को तेज करने का आव्हान**

शिकार होते हैं। प्रतिदिन 3 दलितों की हत्या होती है। प्रतिदिन 11 दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते हैं। प्रतिदिन 42 दलितों के साथ मारपीट कर चोट पहुंचाई जाती है जिनमें जानलेवा हमले भी हैं। यह हाल तो तब है जब बडी संख्या में दलितों के साथ अत्याचार की रिपोर्ट थानों में जल्दी से दर्ज ही नहीं की जाती। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान इन 3 राज्यों में अकेले 55 प्रतिशत दलित अत्याचार घटना घटित हुई हैं। सभ्य समाज के लिए बडे शर्म की बात तो यह है कि दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में पिछले 20 वर्ष में 196 प्रतिशत की बढोतरी हुई है।

राज्य स्तरीय समारोह कल

जयपुर, (का.सं.)। जिला कलैक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती एवं विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर के अवसर पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रातः 9 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। कलैक्टर ने बताया कि गांधी सप्ताह के दौरान 2 से 8 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तर एवं उपखंड स्तर पर श्रंद्धाजली सभा आयोजित की जायेगी। 3 अक्टूबर को उपखंड स्तर पर अहिंसा-सामाजिक चेतना पर संगोष्ठी, 4 अक्टूबर को जिला मुख्यालय महाविद्यालय स्तर पर गांधी दर्शन भाषण प्रतियोगिता, 5 अक्टूबर को उपखंड स्तर पर गांधी के सपनों का भारत विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता, 6 अक्टूबर को जिला स्तर पर गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है विषय पर सेमीनार, 7 अक्टूबर को पीस मैराथन एवं 8 अक्टूबर को जिला स्तर पर महाविद्यालय के छात्रों हेतु गांधी जीवन पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय

राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone NO. 0141-2782772

क्रमांक- DHC-II/1764 दिनाक-29.9.22

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 30/22/06, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 22.24 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन श्री बनवारी लाल रूंगटा पुत्र श्री शंकर लाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 821 दिनांक 01.11.1989 को जरी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 30.11.1989 को प्राप्त कर लिया गयाथा। इसके पश्चात श्री बनवारी लाल रूंगटा की मृत्यु दिनांक 18.7.2002 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री चन्द्रकान्त रूंगटा पुत्र स्व. श्री बनवारी लाल रूंगटा ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्री चन्द्रकान्त रूंगटा पुत्र स्व. श्री बनवारी लाल रूंगटा के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है।अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री चन्द्रकान्त रूंगटा पुत्र स्व.श्री बनवारी लाल रूंगटा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक वृत्त द्वितीय, जयपुर

आम सूचना सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री धर्मपाल पुत्र स्व. श्री पुरखा राम के स्वामित्वाधिकार की सम्पति आवासीय प्लाट नम्बर -116, श्री कल्याण विहार-प्रथम, जोतडावाला रोड, ग्राम-शिकारपुरा, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज है, तथा उक्त सम्पति श्री पुरखा राम को लुनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित किया गया था तत्पश्चात श्री पुरखा राम का स्वर्गवास हो गया था उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके सम्पति के मालिक उनके वारिसान हुये, उनकी पत्नी श्रीमती तुलछी देवी, तीन पुत्र श्री बहादुर राम, श्री पवन भाटव श्री धर्मपाल एवं उनकी दो पुत्रियां श्रीमती प्रियका देवी व श्रीमती ममता देवी उक्त सम्पति के संयुक्त रूप से मालिक स्वामित्व व काबिज हुये इनके अलावा इनके कोई ओर उत्तराधिकारी व वारिसान नहीं है, तत्पश्चात उनकी पत्नि श्रीमती तुलछी देवी, दो पुत्र श्री बहादुर व श्री पवन भाट एवं दो पुत्रियां श्रीमती प्रियका देवी व श्रीमती ममता देवी इन सभी के द्वारा श्री धर्मपाल को दिनांक 06.02.2022 ईस्वी को अपना -अपना 1/6 हिस्सा हक त्याग पत्र द्वारा अपना-अपना मालिकाना हक दे दिया जिस हक त्याग पत्र का पंजीयन उप पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय सांगानेर द्वितीय के यहां पंजीकृत है इस पंजीकृत हक त्याग के द्वारा श्री धर्मपाल सम्पूर्ण रूप से एकमात्र मालिक स्वामी व काबिज हुआ। तथा श्री धर्मपाल द्वारा इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉपारेशन लिमिटेड से गृह ऋण प्राप्त कर रहे है। तथा उक्त ऋण बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था /बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियद 7 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।

सुरेश चन्द शर्मा, एडवोकेट मो.09214318413, AD/7A, देवी मार्ग बनीपार्क जयपुर-302016

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 93/2022

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्रीमती भगवती पत्नी देशराज सिंह गुर्जर, मकान नं. 11, मुण्डघिस्या दौसा राजस्थान 303506 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत गिरिराज प्रसाद घुरैया फांउडेशन, दौसा राजस्थान प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 1.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइंदा तारीख पेशी 9.11.2022

मोहर अदालत

रतनलाल योगी सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

नगर पालिका ने घंटाघर पर रिनोवेशन का कार्य शुरू कराया

किशनगढबास, (निसं)। नगर पालिका ने शहर के मुख्य बाजार स्थित घंटाघर के रिनोवेशन के लिए पटेल कंस्ट्रक्शन को 3 लाख 54 हजार 420 रुपए का ठेका दिया है। यह कार्य कनिष्ठ अभियंता की देखरेख में 2 माह में पूरा किया जाना तय है। करीब 6 माह पहले अज्ञात कारणों से आग लगने पर घंटा घर जलकर स्वाह हो गया था। जिसे 5 साल पहले नगर पालिका ने लाखों रुपया खर्च कर तैयार कराया था। मजेदार बात यह है कि अधिकारी इस बार भी घंटाघर पर घडी लगाए जाने के लिए बजट में राशि पारित करना भूल गए हैं।

आग से जलकर स्वाह हुए घंटाघर के रिनोवेशन पर इस बार पालिका से 3 लाख 54 हजार रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस राशि में रिनोवेशन करने वाली एजेंसी पटेल कंस्ट्रक्शन को दिए गए टेंडर में रोडी बजरी सीमेंट से लेकर ऊपर स्ट्रेचर तैयार करने के लिए एक एक सामान पर खर्च होने वाले पैसे व उपयोग में ली जाने वाली सामग्री का पूर्ण विवरण दिया गया है। इस पूरे निर्माण में कहीं पर भी नगर पालिका ने घडी लगाए जाने की बात नहीं की है और ना ही घडी के लिए कोई बजट खोला है। बिना घडी लगे घंटाघर भी अधूरा लगता है। करीब 5 साल पहले भी पालिका अधिकारी घंटाघर के पर लाखों खर्च करने के बाद घडी लगाना भूल गए थे। यह रिनोवेशन कार्य पालिका कनिष्ठ अभियंता की देखरेख में गुणवत्तापूर्ण कराया जाना है।

- **स्टीमेट को लेकर चर्चा, घड़ी का लगाया जाना टेंडर में शामिल करना भूले अधिकारी**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

अभिषेक कुमार, संपर्क नम्बर-7230013999-9874702021 ई-मेल-abhishek.kumar30@idfcfirstbank.com

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट-IV-ए

(नियम 8 (6) का प्रावधान देखें)

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री की सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री करने के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद् द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप से कालम (ii) के अनुसार ऋण ग्रहिता(ओ) तथा सह-ऋणग्रहिता (ओं) को सूचित किया जाता है कि कालम (iii) के अनुसार नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित रखी गयी है, तथा इन सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड जो पहले आईडीएफसी बैंक लि. के नाम से जाना जाता था, के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है। इन सम्पत्तियों की बिक्री 30.09.2022 को ''जहाँ है जैसी है'', ''जो कुछ है यह है'' तथा ''जो कुछ है वहाँ है'' के आधार पर, जेसा नीचे वर्णित है, कालम (i) के अनुसार ऋणग्रहिता (ओं) तथा सह-ऋणग्रहिता (ओं) के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड) को बकाया राशी की वसूली के लिये की जायेगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तो के लिये क्रमशः आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वेब साइट पर उपलब्ध कराये गये लिंक, अर्थात http://idfcfirstbank.auctiontiger.net/EPROC को देखें।''

क्रम सं.	डिमांड नोटिस तिथी एवं राशि	ऋण	ऋण ग्रहिता (ओं) एवं सहऋणग्रहिता (ओं) के नाम	सम्पत्ति का पता	शाखा कार्यालय	राज्य	आरक्षित मूल्य राशि	ईएमडी राशि	ईएमडी तथा दस्तावेज जमा कराने का अन्तिम समय व तिथि (आनलाइन) तक/पहले	निलामी की तिथि तथा समय	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय	अधिकृत अधिकारी विवरण
1	23.06.2001 को रूपये 1227255.67/-	14024496	सुशील कुमार	यूनिट नं.एस-1, क्षेत्रफल 785.83 वर्गफिट, दूसरी मंजिल, 'श्री सांवरिया रेजीडेन्सी-6', प्लाट नं. 1-110, मंगलम सिटी विस्तार, ब्लाक-1, ग्राम पीथावास एवं निरवारू (हाथोज), कलवाड रोड, तहसील व जिला-जयपुर, राजस्थान, सीमायें है-पूर्व-प्लाट नं.1-105, पश्चिम-रोड 30 फिट, उत्तर-प्लाट नं.1-109, दक्षिण-प्लाट नं.1-111	जयपुर	राजस्थान	रूपये 1376000/-	रूपये 137600/-	02.11.2022 को सायं 5.00 तक	03.11.2022 प्रातः 11.00 से दिन में 1.00 तक	25.10.2022 प्रातः 11.00 से सायं 4.00 तक	अभिषेक कुमार सम्पर्क नम्बर 7230013999 9874702021, ईमेल-abhishek.kumer30 @idfcfirstbank.com

अस्वीकरण- कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस केवल अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए जारी किया गया है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को चल सम्पत्तियों को बेचने का अधिकार नहीं है, यदि कोई, अचल सम्पत्ति पर मौजूद हो।

दिनांक- 29.09.2022

स्थान- जयपुर

ह./-

प्राधिकृत अधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, पूर्व में आईडीएफसी बैंक के नाम से जाना जाता था

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट होम फायनेन्स लिमिटेड तथा कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)